न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक   /2012 जिला–रायसेन

R 1979-II/12

गनेश सिंह पुत्र स्व. श्री दलीप सिंह, निवासी-- ग्राम महुआखेड़ा कलां तहसील बेगमगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कुसुमबाई पत्नी श्री प्रताप सिंह पुत्री स्व. श्री दलीप सिंह दांगी, निवासी– ग्राम महुआखेड़ा कलां तहसील बेगमगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.)

.... अनावेदिका

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज जिला–रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, विवादित भूमि के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी दलीप सिंह थे। इनकी मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण अनावेदिका के पक्ष में दिनांक 09.08.2007 को किया गया। आवेदक द्वारा फोती नामान्तरण उभय पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 07.02.2008 को पारित किया गया था।

2– यहकि, विवादित भूमि की स्थिति वर्ष 2005–06 में जिस प्रकार से थी। कुल भूमि 13.46 हेक्टेयर थी आवेदक गनेश सिंह पिता दलीप सिंह को खसरा क्रमांक 185/1/2 रकवा 6.73 एकड़ तथा खसरा क्रमांक 185/1/1, 180, 187, 344 एवं 369 में रकवा 6.73 एकड़ दी गई थी। इस प्रकार गनेश सिंह को 70 प्रतिशत तथा दलीप सिंह को 30 प्रतिशत दिया गया था। इसी प्रकार अनावेदिका कुसुमबाई को 15 प्रतिशत तथा आवेदक गनेश सिंह को 15 प्रतिशत दिया गया था।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुव़त्ति आदेश प़ष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1979-दो/2012 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	